

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 636]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 30, शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्र. 20715-मप्रविस-15/विधान/2022.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश पेय जल परिक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 28 सन् 2022) जो विधान सभा में दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को पुरस्थापित हुआ है। जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २८ सन् २०२२

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम, १९८६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहतरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.

धारा ९ का स्थापन.

२. मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, १९८६ (क्रमांक ३ सन् १९८७) की धारा ९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए अर्थात् :—

अपराध.

“९. धारा ३, धारा ४ या धारा ६ के उपबंध का उल्लंघन, प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रुपये के जुर्माने से और पश्चातवर्ती प्रत्येक अपराध के लिए दस हजार रुपये के जुर्माने से या कारावास से, जो दो वर्ष तक को हो सकेगा, दण्डनीय होगा.”.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

“ईज ऑफ ट्रुइंग बिजनेस” एक महत्वपूर्ण कारक है जो राष्ट्र तथा राज्य के शीघ्र आर्थिक विकास में सहायता करता है. मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम, १९८६ (क्रमांक ३ सन् १९८७) की धारा ३, धारा ४ या धारा ६ के उपबंधों के उल्लंघन के अपराध की गंभीरता के साथ दण्ड की मात्रा को उसके अनुरूप करने हेतु, अधिनियम की धारा ९ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : १८ दिसम्बर, २०२२.

बृजेन्द्र सिंह यादव

भारसाधक सदस्य.